न्यायालयः–षष्टम अपर जिला न्यायाधीश खरगोन, जिला–मण्डलेश्वर (म0प्र0)
(समक्ष–के.पी.मरकाम)

Registration No.RCA 29/2023
Filing No RCA/642/2023
CNR No. MP10050041992023
Filing Date 03.08.2023

01. निर्मलसिंह पिता स्व.श्री पूर्णेन्द्रसिंह तोमर
आयु 74 वर्ष, व्यवसाय–पेंशनर
निवासी–वृंदावन कालोनी, खरगोन
02. महेशसिंह पिता स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर
आयु 64 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार
निवासी–वृंदावन कालोनी, खरगोन
03. स्व.दिनेशसिंह तोमर उत्तराधिकारी
1–श्रीमती विमला पति स्व.दिनेशसिंह तोमर
आयु 64 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य
निवासी–पूरण सेठ की चाल खण्डवा रोड, खरगोन
2–प्रफुल्लसिंह पिता स्व.श्री दिनेशसिंह तोमर
आयु 48 साल, व्यवसाय–व्यापार, निवासी पूरण सेठ की चाल, खरगोन तहसील व जिला खरगोन म.प्र.
04. अशोकसिंह पिता स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर मृत उत्तराधिकारी
1. श्रीमती कमला पति स्व.अशोक तोमर आयु 58 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी
2. रितेश पिता स्व.अशोकसिंह तोमर आयु 40 वर्ष, व्यवसाय व्यापार
3. वैभव पिता स्व.अशोक तोमर आयु 37 वर्ष, व्यवसाय–ट्रांसपोर्ट
समस्त निवासी वृंदावन कॉलोनी, खरगोन तहसील एवं जिला खरगोन
4. अमित पिता स्व.अशोक तोमर मृत
5. श्रीमती रश्मि पति स्व.अमित तोमर
आयु 37 वर्ष, व्यवसाय गृहिणी
निवासी–वृन्दावन कालोनी, खरगोन

——**अपीलार्थीगण / वादीगण।**

/ / विरूद्ध / /

01. म.प्र.शासन तर्फे प्रतिनिधि जिला कलेक्टर, खरगोन
02. डी.जी.पी. पुलिस मुख्यालय भोपाल,
03. डी.आई.जी.कार्यालय सनावद रोड
शासकीय अस्पताल के सामने, खरगोन
04. पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक कार्यालय

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

पुराना कलेक्टोरेट परिसर खरगोन

05. श्रीमती स्वाति पिता स्व.अशोक पति धीरजसिंह चौहान आयु 46 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी निवासी ग्राम अमझेरा तहसील अमझेरा, जिला धार

06. दीपिका पिता स्व.अशोक पति निरज गौड़ आयु 34 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी निवासी–सिहोर तहसील एवं जिला सिहोर म.प्र.

07. इच्छा पिता पूर्णेन्द्रसिंह तोमर आयु 77 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी 6, मालती पिता स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर आयु 62 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी निवासी–पूरण सेठ की चाल खण्डवा रोड खरगोन

08. ज्योति पिता स्व.पूर्णेन्द्रसिंह आयु 58 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी निवासी–पूरण सेठ की चाल खण्डवा रोड,खरगोन

—**प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण।**

द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड खरगोन प.नि.म.प्र.के न्यायालय (पीठासीन अधिकारी अंजली पटेल) के नियमित सिविल वाद (Civil Suit No. 114/2021, Filing No. 712/2021, CNR No MP1005-007728-2021 & filing Date 22.12.2021) में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनॉक 24/06/2023 से उद्भूत नियमित व्यवहार अपील अंतर्गत धारा 96 सी.पी.सी.।

अपीलार्थीगण	:	श्री हेमंत खोडे अधिवक्ता
प्रत्यर्थी कमांक 1 लगायत 4	:	श्री युवराज गुजरार्थी अधिवक्ता
प्रत्यर्थी क.5, 6, 7,8	:	पूर्व से एकपक्षीय

// निर्णय //

(आज दिनांक **06/05/2025** को घोषित।

01. अपीलार्थीगण की ओर से यह नियमित सिविल अपील द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड, खरगोन (पीठासीन अधिकारी अंजली पटेल) के न्यायालय के व्यवहार वाद कमांक 114/2021, शीर्षक निर्मलसिंह व अन्य विरूद्ध म.प्र.शासन व अन्य में पारित निर्णय एवं डिकी दिनांक 24/06/2023 से से व्यथित, दुःखी एवं पीड़ित होकर नियमित व्यवहार अपील प्रस्तुत की है। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

को विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा **'निरस्त'** किया गया था एवं प्रत्यर्थीगण / प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत प्रतिदावा निरस्त किया गया था, इसलिये उक्त निर्णय एवं जयपत्र को आधार रखकर यह अपील अंतर्गत धारा–96 व्य.प्र.सं. के अधीन पेश हुई है।

02. सुविधा की दृष्टि से वादीगण को अपीलार्थीगण एवं प्रतिवादीगण को प्रत्यर्थीगण से संबोधित किया जा रहा है।

03. अपीलार्थीगण के द्वारा एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा–41 नियम–27 व्य. प्र.सं. आई.ए.नं.1 / 23 का प्रस्तुत किया गया है, इसलिये प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण पहले किया जा रहा है।

04. अपीलार्थीगण व अन्य के द्वारा प्रस्तुत आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं. आई.ए.न.1 / 23 में निवेदन किया है कि अपीलार्थीगण ने अपील विचारण न्यायालय प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड, खरगोन के आर.सी.एस.ए.114 / 2021 में दिनांक 24.06.2023 को पारित निर्णय एवं जयपत्र को अपास्त कर वाद को निर्णीत एवं जयपत्रित किये जाने बाबत पेश की गयी हैं। विचारण न्यायालय के समक्ष अपीलार्थीगण की ओर से राजस्व अभिलेख प्रस्तुत किया गया था और प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 द्वारा स्वीकारोक्ति देने के उपरांत भी अपीलार्थीगण स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर के उत्तराधिकारी है और स्व.पूर्णेन्द्रसिंह जी तोमर अपीलार्थीगण के पूर्वज है। अपीलार्थीगण को स्व.पूर्णेन्द्रसिंह जी तोमर के उत्तराधिकारी नहीं मानने में और वादग्रस्त भूमियां पूर्णेन्द्रसिंह तोमर के स्वत्व की रही है, ऐसा न मानने के कारण अपीलार्थीगण को न्यायालय के समक्ष द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ। राजस्व अभिलेख स्वामित्व का प्राथमिक साक्ष्य है जब तक कि उसे खण्ड़ित न किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा प्राथमिक साक्ष्य का खण्डन न होते हुए भी राजस्व अभिलेख से स्वामित्व प्राप्त नहीं होने का जो निष्कर्ष निकाला है वह त्रुटिपूर्ण होने से भी अपीलार्थीगण को द्वितीयक साक्ष्य के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ हैं। विचारण न्यायालय ने प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 की स्वीकारोक्तियों को देखते हुए उक्त दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है। अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र सहसूची अनुसार दस्तावेज अपील के एवं वाद के न्यायिक निराकरण के लिए आवश्यक है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 को वादग्रस्त भूमियों का स्वामी नहीं माना और ना ही आधिपत्यधारी माना। इस विचित्र स्थिति के स्पष्टीकरण के लिए भी दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। दस्तावेज

6/5/2025

प्रमाणित प्रतिलिपियां असल दस्तावेज है जिनकी प्रमाणिकता संदेह से परे हैं उन्हें रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है और द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। इसके अभाव में अपीलार्थीगण को प्रिज्युडिस होगा। अतः अपीलार्थीगण की ओर से आवेदन के साथ प्रस्तुत सूची अनुसार दस्तावेजों को अभिलेख पर लिये जाने तथा द्वितीयक साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने के संबंध में आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

05. प्रत्यर्थीगण क्र.1 लगायत 4 ने अपीलार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत आवेदन के जवाब में निवेदन किया है कि विचारण न्यायालय के द्वारा प्रकरण का निराकरण गुणदोषों के आधार पर किया गया व अपीलार्थीगण के द्वारा विचारण न्यायालय में कोई भी स्वत्व बाबत् दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है, अब ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेज द्वितीयक साक्ष्य में ग्राहय किये जाने योग्य नहीं अन्यथा प्रत्यर्थीगण को प्रिज्युडिस होवेगा ऐसी स्थिति में अब अपीलार्थीगण का आवेदन पत्र विचार योग्य नहीं रहे हैं। उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रस्तुत आवेदन संव्यय निरस्त किया जाने की कृपा करें।

06. प्रकरण के विचारण दौरान प्रत्यर्थीगण क्र.5 लगायत 8 एकपक्षीय हो जाने से उनके द्वारा लिखित जबाव प्रस्तुत नहीं किया गया है।

07. आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं. के संबंध में न्याय दृष्टांत **मलयालम प्लांटेशन्स लिमिटेड विरूद्ध स्टेट ऑफ केरला ए.आई. आर 2011 एस.सी. 559** में यह प्रतिपादित किया गया है कि आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं. के तहत अतिरिक्त साक्ष्य निम्नलिखित तीन में से किसी एक परिस्थिति में दिया जा सकता है--

01. विचारण न्यायालय ने उस साक्ष्य को लेने में अवैध रूप से इंकार कर दिया है जिसे लेने की अनुमति दी जाना चाहिए थी अथवा,

02. वह साक्ष्य जो प्रस्तुत किया जाना चाहिए था वह सम्यक् तत्परता का प्रयोग करने के बावजूद उस पक्षकार को उपलब्ध नहीं हो सका था अथवा,

03. अतिरिक्त साक्ष्य अपीलीय न्यायालय के लिए मामले के निराकरण के लिए आवश्यक प्रकृति का है या समान प्रकार का कोई अन्य तात्विक कारण।

प्रत्यर्थीगण द्वारा अपीलार्थीगण के आवेदन प्रकरण से संबंधित नहीं होना की आपत्ति दी गई है। प्रकरण के अवलोकन एवं उपरोक्त माननीय न्यायदृष्टांत मलयालम के परिपेक्ष्य में इस अपील से संबंधित विचारण न्यायालय के निर्णय का अवलोकन करने के पश्चात् प्रस्तुत किए गए है उन दस्तावेजों के संबंध में विचार किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि जो दस्तावेज

6/5/2025

अपीलार्थी आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के आवेदन के माध्यम से प्रस्तुत करना चाहता है। उक्त सभी दस्तावेज न्यायालय में प्रकरण/दावा लगाये जाने के पूर्व के हैं। तहसीलदार खरगोन के न्यायालय का आदेश दिनांक 31.10.2018 का है जो कि सबसे नया है बाकी सभी फोटोप्रतियां है जो कि वर्षो पुरानी है। राशन कार्ड प्रस्तुत किया गया है, वह भी वर्ष 1989 का प्रतीत होता है। यह सभी दस्तावेज विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किए गए अर्थात विचारण न्यायालय ने इन दस्तावेजों को अभिलेख पर लेने से इंकार नहीं किया है। यदि अपीलार्थी यदि सम्यक तत्परता बरतता होता तो निश्चित ही यह दस्तावेज पूर्व में ही प्रस्तुत किए जा सकते थे। जिस तरह का यह दस्तावेज है इस बिंदु पर विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में विचार किया हुआ है। ऐसी स्थिति में यह दस्तावेज प्रकरण के निराकरण के लिए आवश्यक हो ऐसा इस न्यायालय को प्रतीत नहीं होता है । अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. उचित प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार किया गया।

08. वादपत्र के महत्वपूर्ण तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने यह वाद प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा, स्थायी निषेधाज्ञा एवं आधिपत्य प्राप्ति बाबत तथा प्रत्यर्थीगण की ओर से अपीलार्थीगण के विरूद्ध प्रतिदावा वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा बाबत् प्रस्तुत किया है, प्रत्यर्थी क.1 म.प्र.शासन के प्रतिनिधि है। प्रत्यर्थी क.3, 4, पुलिस विभाग मध्यप्रदेश शासन के प्रमुख अधिनस्थ है। अपीलार्थीगण निर्मलसिंह, स्व. अशोकसिंह, महेशसिंह एवं स्व.दिनेशसिंह आपस में सगे भाई होकर स्व.पूर्णेन्द्रसिंह के पुत्र उत्तराधिकारी है। अपीलार्थी श्रीमती विमला एवं प्रफुल्लसिंह स्व.अशोकसिंह की पत्नी, रितेश, वैभव, स्व.अशोक के पुत्र एवं प्रत्यर्थी श्रीमती स्वाति, श्रीमती दीपिका स्व. अशोक की पुत्रियां है। अपीलार्थी श्रीमती रश्मि स्व.अमित की पत्नी है। स्व.दिनेशसिंह तोमर, स्व.अशोकसिंह तोमर एवं स्व.अमित की पत्नी है। स्व.दिनेशसिंह तोमर, स्व. अशोकसिंह तोमर एवं स्व.अमित के विधिक उत्तराधिकारी है। स्व.पुर्णेन्द्रसिंह तोमर को पूरण सेठ के नाम से जाना जाता रहा है। प्रत्यर्थी क.7 व 8 स्व.पुर्णेन्द्रसिंह तोमर के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि खसरा नंबर 183(एस) रकबा 0.121 हेक्टयर भू.रा.रू.13.50 पैसे एवं खसरा नं.186/1 रकबा 0.5220 हे.भू.रा.रू.3.80 पैसे की खरगोन खंडवा मार्ग पर विद्युत मण्डल के पीछे स्थित है। स्व.पुर्णेन्द्रसिंह तोमर की मृत्यु पश्चात अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी क.7 व 8 स्व.पुर्णेन्द्रसिंह के उत्तराधिकारी एवं प्रत्यर्थी क.5 व 6 स्व.अशोकसिंह की उपरोक्त भूमियों के भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी होकर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं। उपरोक्त भूमियों के पैकि खसरा नंबर 183(एस)

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

के उत्तरी पश्चिम हिस्से में पुरानी चाल निवासार्थ बनी हुयी थी। उत्तर–पश्चिम तरफ की पुरानी चाल जिसे पुरण सेठ की चाल के नाम से जाना जाता रहा है। पूरण सेठ की चाल के उत्तर–पश्चिम कोने में पूरब–पश्चिम 61, उत्तर दक्षिण 42 फीट में बहुत पुरानी बनी हुई चाल पुलिस विभाग को अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी क.5 लगायत 8 के पूर्वज पूर्णेन्द्रसिंह द्वारा सदभावना एवं सहमति से पुलिस कर्मचारियों को निवासार्थ दी गयी थी। प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 के द्वारा प्रत्यर्थी क.5 लगायत 8 की उपरोक्त चरण 6 में वर्णित एवं चर्तुसीमा के मध्य स्थित पुरानी आवासीय चाल को तोड़कर प्रत्यर्थी क. 1 लगायत 4 ने अपना स्वत्व एवं आधिपत्य बताते हुए तथा अपीलार्थीगा एवं प्रत्यर्थी क. 5 लगायत 8 का स्वत्व एवं आधिपत्य नहीं होना दर्शाते हुए वायर फेंसिंग कर पुलिस चौकी के नाम से एक कक्ष का निर्माण दिनांक 15.11.2016 के तुरंत पश्चात कर लिया गया है और उस कक्ष का उदघाटन 02.02.2016 को कर लिया गया। अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी क.5 लगायत 8 द्वारा प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 को दिनांक 20. 09.2021 का धारा 80 का सूचना पत्र दिया गया, जो प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 को निर्वाहित भी हुआ, लेकिन प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 ने धारा 80 व्य.प्र.सं. के सूचना पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया और न ही दाविया स्थान का आधिपत्य अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थी क.5 लगायत 8 को सौंपा है। अतः अपीलार्थीगण का वाद स्वीकार कर अपीलार्थीगण को वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य एवं वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

09. प्रत्यर्थी क.5 लगायत 8 की ओर से जबावदावा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 की ओर से लिखित जबावदावा तथा प्रतिदावा प्रस्तुत कर वाद पत्र के समस्त अभिवचनों का प्रत्याखान करते हुए अभिवचन किए हैं कि अपीलार्थीगण के द्वारा स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर के विधिक संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं और ना ही वृंशवृक्ष बाबत कोई हाथ नक्शा प्रस्तुत किया गया है, जब तक अपीलार्थीगण स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर के विधिक प्रतिनिधि के संबंध में उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र सक्षम न्यायालय से प्राप्त नहीं करते तब तक अपीलार्थीगण का दावा विधिक प्रतिनिधि के अभाव में विचार योग्य नहीं है। स्व. पूर्णेन्द्रसिंह तोमर की जीवित अवस्था में प्रतिवादी क.1 लगायत 4 तक का उपरोक्त भूमियों पर आधिपत्य होकर उसका उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे हैं तथा स्व. पूर्णेन्द्रसिंह की मृत्यु के पश्चात् से आज तक बिना किसी रोकटोक के लगातार वर्ष 1963 से आधिपत्य स्वतंत्र रूप से चलता आ रहा हैं व पूर्व में स्वयं स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्टम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

उनकी जीवित अवस्था में किसी प्रकार की कोई रोकटोक अथवा कोई भी कानूनी कार्यवाही नहीं की गयी है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 तक का विरोधी आधिपत्य होने से अपीलार्थीगण को प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई भी घोषणा निषेधाज्ञा प्राप्त करने की पात्रता नहीं है जिस कारण अपीलार्थी का वाद प्रथमदृष्टया निरस्त होने योग्य है।

11. प्रतिदावा आगे इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 को स्व. पूर्णेन्द्रसिंह तोमर के द्वारा वर्ष 1963 दौरान को स्वेच्छयापूर्वक मौखिक रूप से जगह का आधिपत्य सौंप दिया था एवं वर्ष 1963 से पुलिस कर्मचारी निवासरत होकर उनके मीटर भी लगे थे व उक्त आवासों के मरम्मत कार्य हेतु पी.सी.एण्ड आर.मद से पैसे स्वीकृत कराकर मरम्मत कार्य भी समय–समय पर वरिष्ठ अधिकारी द्वारा निरीक्षण कर मरम्मत कार्य कराया गया तब भी स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर के द्वारा उसके जीवित अवस्था एवं उनकी मृत्यु के बाद किसी भी कोई भी विधिक प्रतिनिधिगण के द्वारा किसी प्रकार की कोई आपत्ति मरम्मत के संबंध में किसी भी वरिष्ठ अधिकारी एवं पी.डब्ल्यू डी एवं नगर पालिका में नहीं की गई। प्रत्यर्थी क.1 से लगायत 4 का स्वतंत्र रूप से लगातार सतत् आधिपत्य चला आ रहा होने से पुरानी आवासीय चाल जर्जर अवस्था में होने से कोई भी घटना हो सकती थी एवं वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति प्राप्त कर पुलिस चौकी के नाम से निर्माण किया गया है। अपीलार्थीगण एवं अन्य प्रत्यर्थीगण को किसी प्रकार का कोई भी वाद कारण प्रत्यर्थी क.1 लगायत 4 के विरूद्ध कभी भी उत्पन्न नहीं हुआ एवं अपीलार्थी का वाद अवधि बाधित है। अतः अपीलार्थीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थीगण क.1 लगायत 4 के पक्ष में प्रतिदावा स्वीकार कर वादग्रस्त भूमि के संबंध में स्वत्व घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान किए जाने का निवेदन किया है।

12. अपीलार्थीगण की ओर से प्रतिदावा का जबाव प्रस्तुत कर प्रतिदावे में उल्लेखित अभिवचनों का प्रत्याखान कर व्यक्त बिकया है कि प्रत्यर्थीगण प्रतिदावे अनुसार सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। वाद कारण के अभाव में प्रत्यर्थीगण का प्रतिदावा सव्यय निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया।

13. विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष निर्मित विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार बनाये जाकर अवधारित किए गए हैः–

क.	वादप्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण, खरगोन स्थित वादग्रस्त भूमि खसरा	"प्रमाणित नहीं"

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.)

	नं.183 रकबा 0.121 हे., पूरब–पश्चिम 61 फीट एवं उत्तर–दक्षिण 42 फीट, कुल 2562 वर्गफीट के उत्तराधिकारी नाते स्वामी है ?	
2.	क्या वादीगण उपरोक्त भूमि के स्वामी होकर उक्त भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने के अधिकारी है ?	"प्रमाणित नहीं"
3.	क्या प्रतिवादीगण क.1 लगायत 4, वादग्रस्त भूमि पर अवैध रूप से हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है ?	"प्रमाणित नहीं"
4.	क्या वाद परिसीमा अवधि में है ?	"प्रमाणित"
5.	क्या वादी के द्वारा वाद का उचित मूल्यांकन कर, पर्याप्त न्यायशुल्क अदा किया गया है ?	"प्रमाणित"
6.	क्या, प्रतिवादी क.01 लगायत 04, वादग्रस्त भूमि के स्वामी एवं आधिपत्यधारी है ?	"प्रमाणित नहीं"
7.	सहायता एवं व्यय ?	"निर्णय के चरण कमांक 30 के अनुसार वाद निरस्त किया गया।"

14. इस नियमित व्यवहार अपील के निराकरण के लिए निम्न विचारणीय प्रश्न की विवेचना किया जाना आवश्यक है:–

1–क्या विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 24.06.2023 को अपास्त किए जाने के पर्याप्त आधार है ?

–:: सकारण निष्कर्ष ::–

–::विचारणीय प्रश्न की विवेचना एवं निष्कर्ष::–

15. उभयपक्षों को प्रश्नगत् अपील के संबंध में सुना गया, अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का सूक्ष्मता से परिशीलन किया गया।

16. विचारणीय प्रश्न के निराकरण के लिए प्रकरण में उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य का उल्लेख किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी निर्मलसिंह तोमर वा. सा.1 ने कथन किए हैं कि स्व.पूर्णेन्द्रसिंह तोमर उसके पिता थे, महेश, दिनेश व अशोक उसके भाई है। प्रत्यर्थी प्रतिवादी स्वाति और दीपिका उसके भाई अशोक की लड़कियां है। प्रत्यर्थी/प्रतिवादी इच्छा, ज्योति उसकी बहन है। दिनेश का स्वर्गवास हो गया है। विमला की पत्नी है तथा प्रफुल्ल दिनेश का लड़का है। अशोक का स्वर्गवास हो गया

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

है। कमला अशोक की पत्नी है तथा रितेश, वैभवा अशोक के पुत्र है। अशोक का पुत्र अमित मृत हो चुका है। रश्मि अमित की पत्नी है। उसके पिता के नाम से खण्डवा रोड पर नगर खरगोन में खसरा क.186/1 तथा 183 है। उक्त भूमियां स्व.पूर्णेन्द्रसिंह के सभी लड़के–लड़कियां के नाम से दावा प्रस्तुत करने के समय राजस्व अभिलेख में प्रविष्ट है। खसरा नंबर 183 में उत्तरी–पश्चिमी हिस्से पर पुरानी चॉल बनी हुई थी, जो पूरण सेठ की चाल से नाम से जानी जाती थी। उपरोक्त चॉल वर्ष 1960 के पहले से बनी हुई थी, चॉल जिस जगह पर बनी हुई थी, वह पूरब क्षेत्र एकदम विरान था, कोई बसाहट नहीं थी, तब उसके दादा एवं उसके पिताजी निवास करते थे। चॉल को पुलिस विभाग द्वारा उनके निवेदन पर सिपाहियों के रहने के लिए मांगी गयी थी, तब उसके दादाजी ने उन्हें निवास के लिए दी थी और निवास के लिए स्वतंत्रापूर्वक बिना किसी किराये के दी गयी थी। चॉल अत्यधिक पुरानी होने से पुलिस विभाग ने तोड़कर एक नया कमरा बनाकर, पुलिस चौकी प्रतिकात्मक रूप से तैयार की। पूरब में खसरा क.183 की शेष भूमि, पश्चिम में रास्ता एवं उसके बाद एम.पी.ई.बी.का परिसर, उत्तर में खरगोन–खण्ड़वा रोड़ और दक्षिण में 186/1 की भूमि जिसकी चर्तुसीमा की भूमि को अपने हक की भूमि बताते हैं और चौकी का निर्माण किया है।

17. अपीलार्थी निर्मलसिंह तोमर वा.सा.1 ने कथन किए हैं कि उसने वाद के साथ वर्ष 2020–2021 की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.1, खसरा वर्ष 2020–21 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.2, खसरा वर्ष 2021–22 की खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.3, असल रसीदे प्र.पी.4, खसरा नंबर 183 की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.5, असल रसीद प्र.पी.6, नक्शे की प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.7, असल रसीदे प्र.पी.8 है। अतिक्रमित भूमि की स्थिति दर्शाने वाला नक्शा प्रस्तुत किया है। शासन को दिया गया सूचना पत्र दिनांकित 20.09.2021 प्र.पी.9, पोस्टल रसीद प्र.पी.10, प्र.पी.11, प्र.पी.12, प्र.पी.13, पोस्टल रसीदे प्र.पी.14, प्र.पी.15, प्र.पी.16, प्र.पी.17 है।

18. प्रत्यर्थी साक्षी राकेश मोहन शुक्ला प्र.सा.1 ने कथन किए हैं कि विवादित जगह खरगोन, खण्डवा रोड़ पर स्थित है, जिसे पूरण सेठ की चाल के नाम से पहचानना जाता है। वर्ष 1963 से पूरण सेठ की चाल में पुलिस के क्वार्टर बने थे और वर्तमान में पुलिस सहायता केन्द्र बना होकर फेन्सिंग की है। सन् 1963 से पुलिस के क्वार्टर पर जो कर्मचारी निवासरत रहे थे वे लोग निर्विवादित रूप से रहते थे एवं उनके द्वारा बिजली के मीटर अपने घरों में लगवाये थे तथा अन्य शासकीय रिकार्ड जैसे मतदाता सूची, आधार कार्ड में निर्विवादित रूप से नाम दर्ज है। समय–समय पर पूरण सेठ की चाल में निर्माण कार्य रखरखाव हेतु पुलिस मुख्यालय से फंड भी मिला

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.)

है जिससे मरम्मत इत्यादि कार्य करवाये गये। पूरण सेठ के द्वारा उनकी जीवित अवस्था एवं मृत्यु के बाद उनके वारसगणों के द्वारा शासन के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई थी जिससे यह स्पष्ट है कि पूरण सेठ के द्वारा उक्त चाल पुलिस को स्वेच्छयापूर्वक दी गयी थी। कालांतर में उक्त रहवासी मकान जीर्ण–क्षीर्ण होकर रहने हेतु खतरनाक हो गये थे। नगर पालिका द्वारा उन्हें डिसमेंटल किया जाकर पुलिस सहायता केन्द्र बनाया गया था, जहां पर पुलिसकर्मी बैठते थे। नगर पालिका द्वारा डिसमेंटल किये जाते समय वादी की ओर से कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। पुलिस चौकी बनायी थी वह वरिष्ठ अधिकारी से अनुमति से लेकर बनायी गयी थी। वही पास में पूरण सेठ के वारिस इत्यादि भी है लेकिन किसी भी तरह का कभी कोई हस्तक्षेप उनके अधिकार में नहीं किया और न ही कोई कानूनी कार्यवाही अथवा शिकायत की गई। पूरण सेठ की चाल पर पूर्णतः आधिपत्य पुलिस विभाग का है इसके उनके वारिसों का कोई अधिकार नहीं है।

19. इस प्रकरण में अपीलार्थीगण एवं प्रत्यर्थीगण दोनों ने दावा/प्रतिदावा प्रस्तुत किया था जिसमें अपीलार्थीगण का दावा एवं प्रत्यर्थीगण का प्रतिदावा दोनों अस्वीकार किये गये हैं और इसे ही अपीलार्थीगण ने अपील का आधार बनाया है। अतः यह तर्क किए हैं कि प्रत्यर्थीगण ने विवादित भूमि उनके दादा द्वारा दिया जाना स्वीकार किया है। बावजूद इसके विद्वान विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का दावा अस्वीकार कर त्रुटि की है। अपीलार्थीगण के दावे के आलोक में विधि की क्या स्थिति है, इस पर विचार किया जाना उचित होगा। न्यायदृष्टांत–**पूनाराम विरूद्ध मोतीराम (मृत) द्वारा वारसान ए.आई.आर.2019 एस.सी. 813** अवलोकनीय है। न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि वादी को अपना मामला न्यायालय के समाधान पर साबित करना होगा वह प्रतिवादी की दुर्बालताओं पर भरोसा नहीं करता है। इसी प्रकार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का न्यायदृष्टांत–**Kasturchand Jain (since dead) through L.R.Ashish Jain v.Keshri Singh 2020 (3) MPLJ 414** अवलोकनीय है। उक्त न्यायदृष्टांत में सबूत के भार के संबंध में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि जब दोनों पक्षकार न्यायालय के समक्ष अपने–अपने अभिवचनों के साथ आते हैं, वे अपने मामले को साबित करने के लिए उत्तरदायित्व है और यदि दोनों पक्षों द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है, तब ऐसी स्थिति में सबूत के भार का प्रश्न अपना महत्व खो देता है।

20. वादी ने अपने दावे की कंड़िका 5 में लेख किया है कि पूरण सेठ की चाल के उत्तर–पश्चिम कोने में पूर्व–पश्चिम 61 उत्तर दक्षिण 42 फीट में बहुत पुरानी

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला–मण्डलेश्वर (म.प्र.)

चाल पुलिस विभाग को वादीगण एवं प्रतिवादी क्र.5 लगायत 8 के पूर्वज पूर्णेन्द्रसिंह जी द्वारा सदभावना एवं सहमति से पुलिस कर्मचारियों को निवासरत दी गयी थी। अपीलार्थी के उक्त कथनों का समर्थन उसके न्यायालयीन कथन कंड़िका 2 से होता है किंतु कथनों में उसने यह लेख किया है कि चाल को पुलिस विभाग द्वारा उनके निवेदन पर सिपाहियों के लिए मांगी गयी थी तब उनके दादा जी ने उनके निवास के लिए स्वतंत्रतापूर्वक बिना किसी किराये के दी थी। प्रश्न यह उठता है कि उपरोक्त बातों को प्रत्यर्थी ने भी अपने मुख्य परीक्षण में स्वीकार किया है। साक्ष्य विधि का सिद्धांत है कि स्वीकारोक्ति से अच्छी कोई साक्ष्य नहीं होती है किंतु इस प्रकरण की परिस्थिति अलग किस्म की है अर्थात प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के दादा द्वारा विवादग्रस्त भूमि देने से इंकार नहीं किया है किंतु उक्त भूमि दिये जाते समय वापस जमीन मांगने की कोई शर्त थी या नहीं ऐसा दावे में अभिवचनित नहीं है और ना ही इस संबंध में कोई साक्ष्य मौजूद है, बावजूद इसके दस्तावेजों से क्या यह स्थापित हुआ है कि विवादग्रस्त भूमि अपीलार्थी के दादा के स्वयं के स्वामित्व की थी, इस संबंध में प्रकरण में क्या साक्ष्य उपलब्ध है इस पर भी विचार किया जाना उचित होगा।

21. प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्र.पी.1 लगायत प्र.पी.8 का अवलोकन किया गया। प्र.पी.1 वर्ष 2020–21 की किश्तबंदी खतौनी, प्र.पी.2 वर्ष 2020–21 का खसरा, प्र.पी.3 वर्ष 2021–22 का खातावार खतौनी अथवा जमाबंदी, प्र.पी.4 सेवा शुल्क संबंधी पावती, प्र.पी.5 खसरा वर्ष 2021–22, प्र.पी.6 सेवा शुल्क पावती, प्र.पी.7 नक्शा, प्र.पी.8 पुनः सेवा शुल्क पावती है। इन दस्तावेजों/खसरा में खंड 12 में यह उल्लेखित किया गया है कि अपीलार्थीगण का नाम न्यायालय तहसीलदार के प्रकरण कमांक 057 आदेश दिनांक 31.10.2018 के अनुसार भूअभिलेख अद्यतित स्पष्ट है ये सभी दस्तावेज वर्ष 2018 को तहसीलदार न्यायालय के आदेश के आधार पर तैयार किये गये हैं।

22. दिनांक 31.10.2018 का आदेश अपीलार्थी ने विद्वान विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हीं नहीं किया था। उक्त आदेश की प्रतिलिपि आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं. के माध्यम से अपीलार्थी ने अपील में प्रस्तुत किया था जिसे इस न्यायालय द्वारा निरस्त किया जा चुका है।

23. उपरोक्त न्यायदृष्टांत **पूनाराम एवं कस्तूरचंद जैन** के आलोक में इस प्रकरण के संबंध में विचार किया जाए तो चूंकि प्रत्यर्थी ने अपनी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है तब यह नहीं कहा जा सकता है कि जब दोनों पक्ष की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है तब ऐसी स्थिति में सबूत के भार का प्रश्न अपना महत्व खो

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्टम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

देता है। चूंकि इस प्रकरण में प्रत्यर्थी के द्वारा अपीलार्थीगण के दादा द्वारा जमीन देना स्वीकार किया जाकर आधिपत्य में वर्तमान में भी है तब भी अपीलार्थी एवं उसके दादा विवादग्रस्त भूमि के स्वामी थे जब तक दस्तावेजों से स्थापित नहीं किया जाता तब तक यह घोषणा नहीं की जा सकती है कि अपीलार्थीगण विवादग्रस्त संपत्ति के स्वामी है क्योंकि वादी को अपना दावा स्वयं सिद्ध करना होता है।

24. अपीलार्थी ने अपने न्यायालयीन कथन में यह कथन नहीं किये हैं कि प्रत्यर्थीगण क्र.1 लगायत 4 ने अपने न्यायालयीन कथन में विवादग्रस्त संपत्ति में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने हेतु प्रत्यर्थीगण क्र.1 लगायत 4 प्रयासरत है, इस संबंध में कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण द्वारा वर्ष 2016 में निर्माण कार्य करवाया गया है जबकि यह दावा अपीलार्थीगण ने दिनांक 21.12.2021 को प्रस्तुत किया है। इसके साथ ही साक्ष्य से यह भी दर्शित होता है कि प्रत्यर्थीगण वर्ष 1963 से वादग्रस्त संपत्ति के आधिपत्य में है। ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थीगण क्र.1 लगायत 4 वादग्रस्त संपत्ति में अवैध रूप से हस्तक्षेप करने हेतु प्रयासरत है, यह भी स्थापित नहीं होता है।

25. प्रकरण में ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो अपीलार्थीगण/अपीलार्थीगण के दादा विवादग्रस्त संपत्ति के मालिक स्वामी थे, को स्थापित कर सके। प्रकरण में दिनांक 31.10.2018 तहसील न्यायालय के आदेश 41 नियम 27 व्य.प्र.सं. की प्रति प्रस्तुत की है उक्त आवेदन को न्यायालय द्वारा निरस्त किया गया है जिसे पढ़ा नहीं जाना है किंतु उसके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में शासकीय पटटेदार मृतक पूर्णेन्द्रसिंह पिता रामसिंह के नाम पर दर्ज होना लेख है। ऐसी स्थिति में न्यायदृष्टांत **म्युनिसिपल कारपोंरेशन ग्वालियर वि.पूरणसिंह उर्फ पूरणचंद व अन्य ए.आई.आर.2014 एस.सी.2663** अवलोकनीय है। न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि राजस्व अभिलेख में नामांतरण स्वत्व सर्जित नहीं करता है, यह केवल भू राजस्व के उददेश्य से होता है। उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में इस प्रकरण के संबंध में विचार किया जाए तो वर्ष 2018 में तहसीलदार न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण का नाम विवादित भूमि पर दर्ज किया गया है। ऐसी स्थिति में मात्र नामांतरण के आदेश से राजस्व दस्तावेजों में नाम आ जाने से अपीलार्थीगण का स्वत्व विवादित भूमि पर स्थापित नहीं होता है।

26. जहां तक स्वत्व की स्वीकृति का संबंध है, जैसे कि प्रत्यर्थी ने अपीलार्थी के दादा से विवादित भूमि प्राप्त करना स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में

6/5/2025
(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्ठम जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला-मण्डलेश्वर (म.प्र.)

न्यायदृष्टांत–**Sow.Puspa Goyal & Ors.v.Daya Ram (Dead) Through LRs. & ors. ILR 2023 MP 254** अवलोकनीय है। न्यायदृष्टांत में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि विधि अनुसार स्टाम्पित एवं पंजीकृत, विक्रय पत्र के अभाव में, केवल पक्षकारों की स्वीकृति के आधार पर अचल संपत्ति में हित स्वत्व या अधिकार अंतरित नहीं हो सकते है। उपरोक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में भले ही इस प्रकरण में प्रत्यर्थी ने अपीलार्थीगण के दादा से भूमि प्राप्त करना स्वीकार किया हो किंतु ऐसी स्वीकारोक्ति से अपीलार्थीगण के पास स्वत्व था, यह स्थापित नहीं होता है।

27. उपरोक्त विवेचना के आधार पर इस न्यायालय को यह संकोच नहीं रह गया है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा वाद विषयों की विवेचना कर जो निष्कर्ष निकाले गये हैं, वह उचित हैं। इस प्रकार अपीलार्थीगण यह प्रमाणित नहीं कर सके है कि विद्वान विचारण न्यायालय ने विचारणीय प्रश्नों की विवेचना कर जो निष्कर्ष निकाले हैं, वह विधि एवं तथ्यों के विपरीत है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय के आक्षेपित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 24.06.2023 की पुष्टि कर नियमित व्यवहार अपील "**निरस्त**" की जाती है, निम्न आशय की आज्ञप्ति बनाई जाए:–

1. अपीलार्थीगण/वादीगण की अपील संव्यय निरस्त की गई।
2. अपीलार्थीगण/वादीगण, प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण का अपीलीय व्यय वहन करेंगें।
3. अधिवक्ता शुल्क, प्रमाणित होने नियमानुसार देय होगी।
4. तद्‌नुसार जयपत्र की रचना की जाए।

निर्णय खुले न्यायालय में घोषित, दिनांकित एवं हस्ताक्षरित किया गया।

मेरे उद्‌बोधन पर टंकित

(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्टम अपर जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला मण्डलेश्वर(म.प्र.)

(कैलाश प्रसाद मरकाम)
षष्टम अपर जिला न्यायाधीश
खरगोन, जिला मण्डलेश्वर(म.प्र.)

मेरे द्वारा टाईप किया गया,
जितेन्द्र बछाने, शीघ्रलेखक